National Journal of Research and Innovative Practices (NJRIP)
Vol-10 | Issue-02, 2025 | ISSN: 2456-1355 | http://www.edusanchar.com

वर्तमान परिदृश्य में दिव्यांगजन हेतु सुगमता एवं सुविधाएँ

चन्दन मिश्रा- शोध छात्र (शिक्षा विभाग),
लखनऊ विश्वविद्यालय
पूजा मणि, असिस्टेंट प्रोफेसर, (विशेष शिक्षा विभाग),
श्याम विश्वविद्यालय दौसा, राजस्थान

सारांश :

भारत वर्ष में वर्तमान समय में दिव्यांगजन हेतु उनकी दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए सुगमता और सुविधाओं का महत्वपूर्ण योगदान है जिसके बगैर दिव्यांगजन के जीवन को सुलभ एवं सरल रूप देने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इस लेख के द्वारा दिव्यांगजन के जीवन को नई दिशा एवं बेहतर भविष्य प्रदान करने में मदद मिलेगी मुख्य रूप से देखा जाय तो इनके जीवन, शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता में सुगमता एवं सुविधाओं का अहम योगदान है जिसकी चर्चा इस लेख के माध्यम से की गई है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को में रखते हुए अलग-अलग दिव्यंगता की श्रेणियों के आधार पर इनकी सुलभता,सुगमता को सुनिश्चित किया गया है सुविधाओं के दृष्टिकोण से सरकारी, गैर सरकारी, सामाजिक क्षेत्रों के अनुसार विभिन्न व्यवस्थाएं एवं सुविधाएं मददगार साबित हो सकती है।

प्रमुख विन्दुः सुगमता, सुलभता, आत्मनिर्भर , आरक्षण, समावेशन, इत्यादि

परिचय:

दिव्यांगजन के लिए सुगमता (Accessibility) का अर्थ है ऐसी सुविधाएँ और संसाधन उपलब्ध कराना जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हों, जिससे वे आत्मनिर्भर और समाज में समावेशी रूप से जीवन व्यतीत कर सकें। दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बनाने में अवसरों की उपलब्धता एक प्रमुख बिंदु है जिसके आधार पर सामान्य और दिव्यांग को बिना विभेद किये सामान अवसर प्रदान किये जा सकते है जिससे ये एक बेहतर जीवन निर्वहन कर सकते है सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि सुविधाओं और उपकरणों का सही उपयोग दिव्यांगजन को समावेशन की ओर अग्रसर करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अनुसार 6 से18 वर्ष के बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का सन्दर्भ प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रत्योक बालक साक्षर एव आत्मनिर्भर बन सके।

दिव्यांगजन हेतु सुगमता महत्वपूर्ण रूप में आवश्यक है इससे सम्बंधित कई प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन अग्रलिखित है जिनके आधार पर इनकी सुलभता को सुनिश्चत किया जा सकता है।

- **भौतिक संरचना सम्बन्धी सुगमता (Physical Accessibility):**

सरकारी भवनों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, सार्वजनिक परिवहन और कार्यालयों में रैंप, लिफ्ट, ऑडियो संकेतक, ब्रेल साइनबोर्ड आदि की व्यवस्था।

व्हीलचेयर-फ्रेंडली सड़कें और फुटपाथ।

रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर विशेष सहायता सुविधाएँ।

- **डिजिटल सुगमता (Digital Accessibility):**

सरकारी और निजी वेबसाइटों को स्क्रीन रीडर फ्रेंडली बनाना।

मोबाइल ऐप्स में वॉयस कमांड और टेक्स्ट-टू-स्पीच जैसी सुविधाएँ।

दिव्यांगजनों के लिए ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल सेवाओं को सुगम बनाना।

- **परिवहन सुगमता (Transportation Accessibility):**
  - लो-फ्लोर बसें, मेट्रो और ट्रेनों में व्हीलचेयर की सुविधा।
  - बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर विशेष सहायक सेवाएँ।
  - नेत्रहीनों के लिए ऑडियो अनाउंसमेंट और टैक्टाइल पाथवे।
- **शिक्षा और रोजगार सम्बन्धी सुगमता (Education and Employment Accessibility):**
  - स्कूलों और कॉलेजों में विशेष शिक्षकों और ब्रेल सामग्री की उपलब्धता।
  - दिव्यांगजनों के लिए विशेष स्कॉलरशिप और रोजगार में आरक्षण।
  - कार्यस्थलों पर समावेशी इंफ्रास्ट्रक्चर और सहायक टेक्नोलॉजी का उपयोग।
- **संचार और सूचना सुगमता**:
  - टीवी चैनलों पर साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर और सबटाइटल्स।
  - दिव्यांगजनों के लिए हेल्पलाइन और डिजिटल सेवाएँ।
  - स्मार्टफोन में एक्सेसिबिलिटी फीचर्स जैसे वॉयस ओवर, टॉकबैक, हाई-कंट्रास्ट मोड आदि।
  - भारत में सुगमता को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पहल शुरू किये गए है जिनके आधार पर दिव्यन्जन शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे है

- **सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign)**
  - RPWD Act, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016)
  - डिजिटल इंडिया पहल के तहत दिव्यांगजन के लिए डिजिटल सुगमता
  - दिव्यांगजन के लिए विशेष रोजगार योजनाएँ और स्कॉलरशिप
  - दिव्यांगजन (विकलांग व्यक्तियों) के लिए सरकार और समाज द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं जिससे इनका जीवन सुलभ समृद्ध बन सकें। ये सुविधाएँ विभिन्न श्रेणियों में आती हैं, जैसे—शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, परिवहन, वित्तीय सहायता, और कानूनी अधिकार।

1. शैक्षिक सुविधाएँ:

- विशेष विद्यालय एवं समावेशी शिक्षा: दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल और समावेशी शिक्षा की व्यवस्था।
- वृत्ति एवं छात्रवृत्ति: सरकार द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- सहायक उपकरण: ब्रेल लिपि, श्रवण यंत्र, और अन्य सहायक तकनीकें उपलब्ध कराई जाती हैं।

2. रोजगार सुविधाएँ:

- आरक्षण: सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को 4% आरक्षण।
- स्वरोजगार हेतु ऋण: राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (NHFDC) द्वारा कम ब्याज पर ऋण।
- विशेष कौशल विकास कार्यक्रम: दिव्यांगों के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं रोजगार मेलों का आयोजन।

3. स्वास्थ्य सुविधाएँ:

- निःशुल्क इलाज: सरकारी अस्पतालों में दिव्यांगों को विशेष चिकित्सा सुविधाएँ।
- सहायक उपकरण: जैसे व्हीलचेयर, कान की मशीन, कृत्रिम अंग आदि निःशुल्क या सब्सिडी पर प्रदान किए जाते हैं।
- आयुष्मान भारत योजना: दिव्यांगों को स्वास्थ्य बीमा के तहत निःशुल्क इलाज की सुविधा।

4. परिवहन सुविधाएँ:

- रेलवे एवं बस में रियायत: भारतीय रेलवे में किराए में 50% से अधिक की छूट।
- विशेष बस सेवाएँ: कई राज्यों में दिव्यांगों के लिए सुलभ बस सेवाएँ।
- एयरलाइंस छूट: हवाई यात्रा में विशेष छूट और व्हीलचेयर सहायता।

5. वित्तीय सहायता एवं पेंशन:

- दिव्यांग पेंशन योजना: विभिन्न राज्यों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगों को पेंशन।
- कर में छूट: आयकर और अन्य करों में विशेष रियायत।
- मुख्य योजनाएँ: प्रधानमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना आदि।

6. कानूनी एवं सामाजिक अधिकार:

- RPWD अधिनियम, 2016: दिव्यांगों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु विशेष अधिनियम।
- विशेष अदालतें: दिव्यांगों से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु।
- सुलभ भारत अभियान: सार्वजनिक स्थानों को दिव्यांगों के लिए सुगम बनाने की पहल।

निष्कर्ष:

दिव्यांगजन के लिए सुगमता का तात्पर्य केवल लाभ लेने से नहीं है, अपितु यह उनके अधिकारों और समान अवसरों को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार, समाज और निजी क्षेत्र सभी को एकसाथ मिलकर अधिक समावेशी और सुगम्य वातावरण बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए जिससे एक समावेशी समाज का निर्माण किया जा सके सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के प्रति जागरूक होकर इनके बेहतर भविष्य में सहभागी बना जा सकता है।

Reference:

- Sapra. C.L. and Ash Aggarwal, (Ed.,) (1987). Education in India Some critical Issues.New Delhi National Book Organisation.
- Right to Education Act (2009). Ministry of Human Resource Development,Government of India, New Delhi.
- School Accessibility accessed from https://www.nidirect.gov.uk/articles/school-accessibility retrieved on 18/10/2021
- Wilson, k., Miles , S., & Kaplan , I (2008) , Family friendly ! Working with deaf children and their communities worldwide. London : Deaf Child Worldwide.
- Kochhar C., West, L. and Taymans, M. Juliana (2000), “Successful Inclusion”, Person Education Upper Saddle River, New Jersey.

- Kumar K. (2006), A Study of Knowledge and Skills of Teacher for Inclusive Education of Students with Hearing Impairment, Regd.no - 45, Unpublished Dissertation of M.Ed. (H.I.), University of Mumbai.
- Salend, S. Johansen, M., Mumper, J., Chase, A. Pike K& Dorney J. (1997) Cooperative teaching the voices of two teacher. Remedial and Special Education, 18 (1), 3-11.